

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा (म0प्र0)

क्रमांक-Q-29 / जि0न्या0छिं0 / 2020

छिंदवाडा दिनांक 17.08.2020

विविध कार्यालयीन आदेश

(आज दिनांक 17.08.2020 को पारित)

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के सर्कुलर क्रमांक बी/3010 जबलपुर दिनांक 14.08.2020 द्वारा कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण को देखते हुये पूर्व में जारी सर्कुलर क्रमांक बी/2935 दिनांक 07.08.2020 के क्रम में सर्कुलर क्रमांक डी/2377 जबलपुर दिनांक 27 जून 2020, सर्कुलर क्रमांक क्यू-12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020, सर्कुलर क्रमांक बी/2655 दिनांक 24.07.2020 के अनुसार एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों/निर्देशों को यथावत् रखते हुये अधीनस्थ जिला न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों में लिमिटेड कार्य संचालन को दिनांक 17 अगस्त 2020 से दिनांक 21 अगस्त 2020 तक विस्तृत किया गया है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पूर्व आदेशों के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा कार्य व्यवस्था के संबंध में पूर्व में विविध कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक Q-15/जि0न्या0छिं0/2020 छिंदवाडा दिनांक 30.05.2020, Q-16/जि0न्या0छिं0/2020 छिंदवाडा दिनांक 30.05.2020 एवं Q-17/जि0न्या0छिं0/2020 छिंदवाडा दिनांक 30.05.2020, एवं अन्य पूर्ववर्ती कार्यालयीन आदेश क्रमांक क्यू-1 लगायत क्यू-14 एवं कम्प्यूटर अनुभाग के आदेश क्रमांक क्यू-1 लगायत क्यू-24 तक को यथावत् रखते हुये अधीनस्थ न्यायालयों (कुटुम्ब न्यायालय सहित) में लिमिटेड कार्य संचालन को दिनांक 17 अगस्त 2020 से दिनांक 21 अगस्त 2020 तक विस्तृत किया जाता है। उपरोक्त सभी आदेशों में दिये गये निर्देश यथावत् जारी रहेंगे तथा उन्हीं के अनुसार न्यायालयीन एवं समस्त अनुभागों की कार्य व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहेगी।

दिनांक 17 अगस्त 2020 से दिनांक 21 अगस्त 2020 के मध्य में अर्जेंट प्रकृति के अथवा आसन्न आकस्मिकता प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई जारी रहेगी। अर्जेंट प्रकृति में सभी प्रकरणों के जमानत आवेदन पत्र, सुपुर्दनामा एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन शामिल रहेंगे। साथ ही दोनों पक्षों की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पुनरीक्षण याचिकायें, सिविल अपील, किमिनल अपील एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन सुने जा सकते हैं।

छिंदवाडा जिले के समस्त न्यायालयों (जिला मुख्यालय, कुटुम्ब न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों सहित) के लिये निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

स0क0	नियत तिथि	आगामी तिथि	रिमांक
1	17-08-2020	21-09-2020	
2	18-08-2020	22-09-2020	
3	19-08-2020	23-09-2020	
4	20-08-2020	24-09-2020	
5	21-08-2020	25-09-2020	

sd/-


(बी0एस0भदौरिया)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

छिंदवाडा

प्रतिलिपि:—

- 1— माननीय रजिस्ट्रार जनरल M0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील— सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6— जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7— पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।
- 8— जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 10— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 11— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।
- 12— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 13— प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 14— कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 15— प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा